वाराणसेय-संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1972)

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 अप्रैल, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 अप्रैल, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 28 अप्रैल, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट में दिनांक 1 मई, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद विषय म परीक्षा आयोजित करने तथा उपाधियां प्रदान और सम्प्रदान करने के लिये भूतलक्षी दिनांक 1 जुलाई, 1965 से और राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रबन्ध लोकहित में, सीमित अवधि के लिये, तात्कालिक प्रभाव से, अपने पास लेने के लिये, और उससे सम्बद्ध या प्रासंगिक विषयों के लिये उपबन्ध बनाने के उद्देश्य से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1956 की धारा 26 का संशोधन

2—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 26 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, और 1 जुलाई, 1965 से बढ़ायी गई समझी जाय, अर्थात् :—

"(5) विश्वविद्यालय आयुर्वेद के विषय में शिक्षा देने के लिये शिक्षण विभाग खोल सकता है व पाठ्य-क्रम नियत कर सकता है तथा उस विषय में परीक्षायें आयोजित कर सकता है, और ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के निमित्त उपाधियां संस्थित कर सकता है तथा ऐसी उपाधियां प्रदान या संप्रदान कर सकता है, चाहे परिनियमों और अध्यादेशों में तदर्थ उपबन्ध किया गया हो या नहीं, भले ही पूर्ववर्ती उपधाराओं या धारा 4, 6, 28, और 30 में कोई बात उपबंधित हो।"

धारा 44 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 44 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(7) जब तक धारा 47—क के उपबन्धों के कारण आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रबन्ध और नियंत्रण राज्य सरकार में निहित रहे,—

(क) उक्त महाविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालय होगा, और उपधारा (1), उपधारा (3) या उपधारा (6) में दी गई कोई बात उसके संबंध में लागू न होगी,

(ख) उक्त महाविद्यालय का आचार्य कार्यकारिणी परिषद् का पदेन सदस्य होगा, भले ही धारा 22 में कोई बात दी हो।"

नई धारा 47-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रबन्ध अस्थायी रूप से अपने पास लेना

"47—क—(1) दिनांक 2 मार्च, 1972 से (जिसे इस धारा में निश्चित दिनांक कहा गया है) और तत्पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिये—

(क) आयुर्वेदिक महाविद्यालय, जो निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व विश्वविद्यालय का भाग था, का प्रत्येक हास्पिटल, औषधालय, प्रयोगशाला, फार्मेसी, व्याख्यान-कक्ष अथवा संग्रहालय और उससे संबंधित किन्हीं सज्जा,

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 7 अप्रैल, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

स्टोर्स, औषधि, धनराशियों तथा अन्य परिसम्पत्तियों के सहित, प्रबन्ध और नियंत्रण राज्य सरकार को संक्रमित हो जायेगा और उसमें निहित हो जायगा, और ऐसी सभी संपत्तियों तथा परिसम्पत्तियों का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाता रहेगा जिनके लिये उनका उपयोग निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व किया जाता था अथवा जिन प्रयोजनों के हेतु उपयोग के लिये वे अभिप्रेत थीं ;

(ख) विश्वविद्यालय की ऐसी समस्त भूमि, भवन, फर्नीचर, फिटिंग्स, फिक्सचर्स और अन्य परिसंपत्तियां जिनका उपयोग उक्त महाविद्यालय के लिये निश्चित दिनांक के ठीक पूर्व पूर्णतः या आंशिक रूप से किया जाता था, उक्त प्रयोजनों के लिये उसी रूप में उपयोग में लायी जाती रहेगी ;

(ग) उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में निश्चित दिनांक से ठीक पूर्व सेवायोजित विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के अधीन सभी आनुशासनिक शक्तियां (जिसके अन्तर्गत सेवा की संविदा को समाप्त अथवा निलम्बित करने की शक्ति भी समझी जायेगी) तथा उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में नये कर्मचारियों की नियुक्ति करने की शक्ति विश्वविद्यालय अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों के स्थान पर राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति में निहित होगी ;

(घ) इस धारा के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम में परिवर्धन, संशोधन या लोप कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझे, और ऐसा कोई परिवर्धन, संशोधन या लोप भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे दिनांक से किया जा सकता है जो निश्चित दिनांक से पूर्व न होगा।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिये यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति निश्चित दिनांक से ठीक पूर्व उक्त महाविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवायोजित विश्वविद्यालय का कर्मचारी था या नहीं, तो उस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय दिया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन निष्पादित प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायगा।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, 1972

5--वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त् किया जाता है।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 88 जनरल (लेग०)--1972--1,834+50. SS (मे०)।

VARANASEYA SANSKRIT VISHVAVIDYALAYA (AMENDMENT) ACT, 1972

(U. P. ACT NO. 21 OF 1972)

(**Authoritative English Text of the Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972*).

AN
ACT

Further to amend the Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya Act, 1956, with a view to making provisions, with retrospective effect from July 1, 1965, for the holding of examinations and the conferment and award of degrees by the Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya, in the subject of Ayurved, and with immediate effect, for the taking over, in the public interest for a limited period the management of Ayurvedic College, from the Vishvavidyalaya, by the State Government for a limited period and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :

Short title.

1. This Act may be called the Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya (Amendment) Act, 1972.

Amendment of section 26 of U.P. Act XXXIII of 1956.

2. In section 26 of the Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya Act, 1956, hereinafter referred to as the principal Act, *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* with effect from July 1, 1965, namely :—

"(5) The Vishvavidyalaya may have a department of teaching to provide instruction in the subject of Ayurved and prescribe courses and hold examination in that subject, and institute and confer or award degrees to candidates successful at such examinations whether or not provision is made in that behalf in the Statutes and the Ordinances, anything provided in the foregoing sub-sections or in sections 4, 6, 28 and 30, notwithstanding."

Amendment of section 44.

3. In section 44 of the principal Act, *after* sub-section (6), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(7) For so long as the management and control of the Ayurvedic College stands, by virtue of the provisions of section 47-A, vested in the State Government,—

(*a*) the said College shall be an affiliated College, and nothing contained in sub-section (1), sub-section (3) or sub-section (6) shall apply in relation to it ;

(*b*) the Principal of the said College shall *ex officio* be a member of the Karyakarini Parishad, anything contained in section 22 notwithstanding."

Insertion of new section 47-A.

4. *After* section 47 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Temporary taking over of management of the Ayurvedic College by the State Government.

"47-A. (1) With effect from March 2, 1972 (hereinafter in this section referred to as the appointed day) and for a period of five years thereafter—

(*a*) the management and control of the Ayurvedic College which immediately before the appointed day formed part of the Vishvavidyalaya, together with any hospital, dispensary, laboratory,

---

(*For statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 7, 1972).

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 7, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 14, 1972.)

(Received the Assent of the President on April 28, 1972 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated May 1, 1972.)

pharmacy, lecture-room or museum and any equipment, stores, drugs, useries and other assets pertainfng thereto, shall stand transferred to and vested in the State Government, and all such properties and assets shall continue to be utilised for the purposes for which they were utilised or intended to be utilised immediately before the appointed day ;

(*b*) all lands, buildings, furniture, fittings, fixtures and other assets of the Vishvidyalaya which immediately before the appointed day were wholly or partly used for purposes of the said college shall continue to be so used for the said purposes ;

(*c*) all disciplinary powers (which shall be deemed to include the power to terminate or suspend any contract of service) in relation to whole-time employees of the Vishavidyalaya employed immediately before the appointed day in connection with the affairs of the said College, and the power to appoint new employees in connection with the affairs of the said College shall vest in the State Government or any person specified by it in substitution for the Vishvavidyalaya or its officers or authorities ;

(*d*) for the purpose of giving effect to the provisions of this section, the State Government may by order published in the *Gazette* make such additions, amendments or omissions, as it may deem to be necessary or expedient, in any Statute, Ordinance or Regulation made under this Act, and any such addition, amendment or omission may be made with retrospective effect from a date not earlier than the appointed day.

(2) If for purposes of clause (*c*) of sub-section (1), a question arises as to whether any person was an employee of the Vishvidyalaya employed in connection with the affairs of the said College immediately before the appointed day it shall be decided by the State Government, whose decision shall be final.

(3) Every order made under clause (*d*) of sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature."

Repeal.

5. The Varanaseya Sanskrit Vishvidyalaya (Amendment) Ordinance, 1972, is hereby repealed.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 87 जनरल (लेग०)—1972—1852+50 (मे०)।